



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02012021-224126
CG-DL-W-02012021-224126

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2020, शनिवार / अग्रहायण 29 — पौष 5, 1942
No. 41] NEW DELHI, DECEMBER 20 - DECEMBER 26, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 29 - PAUSHA 5, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.198.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'ख', भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	05*(पाँच) (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय, राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आयु : लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (35,400-1,12,400/- रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा यथाविहित प्रशासन, स्थापना, लेखा या रोकड़ आदि के क्षेत्र में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में प्रशासन, स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष,	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य;	प्रतिनियुक्ति द्वारा पद को भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[ए.11018/30/2017-एम एच II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th December, 2020

G.S.R. 198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi, (Administrative Officer) Group 'B', Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in Safdarjung Hospital of New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Sadarjung Hospital, New Delhi, Administrative Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient, so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrative Officer	5*(five) (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Ministerial , Gazetted,	Level-8 in the pay matrix (Rs 47600-151100).	Selection post.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age : Not applicable. Educational Qualification : Not applicable.	Not applicable.	100 per cent by promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Administrative Officer with six years regular service in level 6 in the pay matrix (35,400-1,12,400) and have successfully completed mandatory training of two weeks in the field of administration, establishment, accounts or cash etc. as prescribed by the department. Deputation : Officers under the Central Governments or State Governments or Union territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the cadre or Department :or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment	Composition of Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; 2. Director (Administration) or Deputy Director Administration , Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration , Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post by deputation.

thereto on a regular basis in posts in level-7 in the pay matrix (44,900 – 1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Degree from a recognised University or Institute ; and ii) Two years' experience in Administration, Establishment work in a Government office or Public Sector Undertakings or autonomous body or statutory body. Note 1 : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. Note 3: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the last date of receipt of applications.		
---	--	--

[A.11018/30/2017-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्लास्टर कटर, प्लास्टर तकनीशियन और वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफ़रजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्लास्टर कटर, प्लास्टर तकनीशियन और वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्लास्टर कटर	04 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	चयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, और (ii) सरकारी या सरकार से मान्यताप्राप्त अस्पताल में प्लास्टर रूम/प्लास्टर कटिंग का एक वर्ष का कार्य अनुभव/प्रशिक्षण।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
अन्य समूह 'ग' कर्मचारी वर्ग में से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपए) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्लास्टर तकनीशियन	06 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रुपये)	चयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, और (ii) सरकारी या सरकार से मान्यताप्राप्त अस्पताल में प्लास्टर कटर के रूप में कार्य करने का पाँच वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, और 60% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टर कटर में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19900-63200 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ; (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण -1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्लास्टर तकनीशियन	01 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (25500-92300 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सफदरजंग अस्पताल के प्लास्टर तकनीशियन में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 4 (25500-81100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25500-81100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 3 (21700-69100 रुपए) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) प्लास्टर तकनीशियन के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव। टिप्पण- 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संबंधित विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[ए.12018/18/2016-एमएच II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 14th December, 2020

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Plaster Cutter, Plaster Technician and Senior Plaster Technician in the Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Safdarjang Hospital, New Delhi, Plaster Cutter, Plaster Technician and Senior Plaster Technician (Group 'C') Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Plaster Cutter	04 (2020)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix.

Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission or the competent authority.	Essential : (i) 12 th class pass from a recognised Board And (ii) One year working experience or training in the Plaster Room or plaster cutting from a Government or Government recognised hospital.	Age : No Educational qualification : Yes

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	100 % by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion from other Group 'C' Staff with three years regular service in level-1 of the pay matrix (18000-56900).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member. Departmental confirmation Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
Plaster Technician	06 (2020)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Between 18-25 Years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission or the competent authority.	Essential Qualification: (i) 12 th class pass from a recognised Board and (ii) Five years working experience as Plaster Cutter from a Government or Government recognised hospital.	Age : No Educational qualifications: Yes

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	40% promotion failing which by deputation and 60% deputation failing which by direct recruitment	Promotion : Plaster Cutter of Safdarjang Hospital with eight years regular service in the grade in Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200). Deputation : Offices of the Central Government or State Government or Union territory administration, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) officials in Level- 3 (21700-69100) in the pay matrix with five years regular service in the parent cadre or Department; or (iii) officials in Level-2 (19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the parent cadre or Department; (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental officers in the feeder

		category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--	---

(12)	(13)
Departmental promotion Committee(for considering confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital - Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital - Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services - Member. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Plaster Technician	01 (2020)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 (Rs. 25500-92300) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	100% by promotion failing which by deputation.	Promotion : Plaster Technician of Safdarjang Hospital with five years regular service in the grade in Level-4 in the pay matrix (25500- 81100). Deputation : Offices of the Central Government or State Government or Union territory administration, - . (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) officials in Level- 4 in the pay matrix (25500-81100) with five years regular service in the parent cadre or Department ; or (iii) officials in Level- 3 (21700- 69100) in the pay matrix with ten years regular service in the parent cadre or Department; and (b) Five years experience as Plaster Technician. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by

		promotion. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--	---

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member; 3. Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[A.12018/18/2016-MH II]
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 200.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में व्यावसायिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, व्यावसायिक चिकित्सक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यावसायिक चिकित्सक	02* (दो) 2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक की डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में दो वर्ष का अनुभव। या (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान (भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान) के साथ बारहवीं कक्षा पास। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक चिकित्सा में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और	आयु: लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएँ : लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेंगी जो- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स

(iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।			के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) में पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।
--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक कार्य देख रहे उपनिदेशक - सदस्य; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के उपनिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता

[ए.11018/34/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव,

New Delhi, the 14th December, 2020

G.S.R. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, The President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Occupational Therapist, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Occupational Therapist, (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Occupational Therapist	2*(2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level-6 in the pay matrix (35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelors degree in Occupational Therapy from recognised University	Age: Not applicable. Educational qualifications: Not applicable.	Two years	100 per. cent by direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on

or institute. (ii) Two years experience as Occupational Therapist in a Government hospital or institute. Or (i) 12 th class pass with Science (Physics, Chemistry and Biology) from a recognised Board or institute. (ii) Diploma of two years duration in Occupational Therapy from a recognised University or institute. (iii) Three years experience as a Occupational Therapist in a recognised hospital or institute.			deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government . (a)(i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with six years regular service in posts in level -5 in the pay matrix(29200 - 92300) ; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column number (7).
--	--	--	---

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : - 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Head of the Neurology Department, Lady Hardinge Medical College -Member; 3. Deputy Director in Directorate general of health services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College-Member.	Consultation with UPSC is not necessary.

[A.11018/34/2019-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 201 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, मनोवैज्ञानिक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मनोवैज्ञानिक	1*(एक) (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री। अनुभव: किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में मनोविज्ञान के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री।	आयु: लागू नहीं होता। शैक्षिक योग्यता: लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रुपये) या समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष; 2. न्यूरोलोजी विभाग के प्रमुख -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य; 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[ए.12018/14/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 14th December, 2020

G.S.R. 201.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, The President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Psychologist, in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Psychologist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Psychologist	*01(One) 2020 *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central government). Note : The crucial

					date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: Bachelors degree in Psychology from a recognised University or institute. Experience: Two years of experience in the field of Psychology in a recognised Hospital or institute. Desirable: Masters degree in Psychology from a recognised University or institute.	Age: Not applicable. Educational Qualifications: Not applicable.	Two years for direct recruits.	Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or States Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or University or recognised research institution:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Head of the Neurology Department -Member; 3. Deputy Director in Directorate General of health services looking after the Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not Necessary.

level -5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note1:-Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age- limit for appointment by deputation including short-term contract shall not be exceeding fifty -six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[A.12018/14/2019-MH-II]
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 202.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीशियन(यूरोडायनामिक अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीशियन(यूरोडायनामिक अध्ययन), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीशियन (यूरोडायनामिक अध्ययन)	*02 (दो) 2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधीभर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से चिकित्सा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् में डिप्लोमा के साथ मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में छह माह का अनुभव । टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. बालचिकित्सा के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के उप निदेशक - सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[ए.12018/12/2017-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 2020

G.S.R. 202 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician (Urodynamic Studies), Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Technician (Urodynamic Studies), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician (Urodynamic Studies)	2* (2020) *subject to variation dependent upon the workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, (non-Ministerial)	Level-4 (Rs. 25500-81100 in the pay matrix)	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note .- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh and Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub – division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Diploma in Medical Laboratory Technologist from a recognized Board or	Not applicable	Two years	By Direct recruitment

Institute with six months experience as Laboratory Technician from Government recognized Hospital or Institute. Note: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of the selection the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely be available to fill up the vacancy reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Head of Pediatrics , Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director, Lady Hardinge Medical College -Member; 3. Deputy Director, Medical Education in Directorate General of Health Services -Member; 4. Administrative Officer, Kalawati Saran Children's Hospital -Member.	Not applicable

[A.12\018/12/2017-MH-II]
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 203.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहाँ तक उनका संबंध रसोइया और मिसरानी के पदों से है, और (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (प्रधान रसोइया) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, रसोइया (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रसोईया	29* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) किसी संस्थागत रसोईघर में खाना बनाने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली -अध्यक्ष; (2) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के उप निदेशक प्रशासन -सदस्य; (3) चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उप निदेशक प्रशासन -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[ए.11018/13/2019-एमएच II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 2020

G.S.R. 203.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules , 1979 , in so far as they relate to the posts of Cooks and Misranies and (ii) the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Head Cook) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook in the Lady Hardinge Medical College, in New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi ,Cook (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient, so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving .**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cook.	29* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Service, 'C', Gazetted, Ministerial Central Group Non Non	Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,

					Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Educational Qualification: (a) 10 th class pass from the recognised Board. and (b) One year experience of cooking in an institutional Kitchen. Note: Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Lady hardinge Medical College, New Delhi - Chairman; 2. Deputy Director Administration, of Lady hardinge Medical College, New Delhi - Member; 3. Deputy Director Administration of the Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services - Member.	Not applicable.

[A.11018/13/2019-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 204.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध ड्राइवर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	01 (2020)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के

					लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जतियों या अनुसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं/प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मोटर कार चलाने को वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो; (ii) मोटर क्रिया विधि का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी खराबी ठीक करनी आनी चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव; और (iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास। वांछनीय : होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्षों की सेवा।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेसन: कलावती सरन बाल अस्पताल में नियमित डिस्पैच राईडर (समूह ग) और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपये) में समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की योग्यता के मूल्यांकन हेतु ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस है, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1(18000-56900 रुपये) में नियमित आधार पर डिस्पैच राईडर का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हों। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र सेनाओं के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो निर्धारित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति आधार पर रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र सेना से रिलीज़ किये जाएंगे, जिसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। टिप्पण: 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक – सदस्य; 3. उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर	01 (2020)*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4	अचयन	लागू नहीं होता

(श्रेणी II)	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(25500-81100 रुपये)		
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति		

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 3. उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I)	02 (2020)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी II) तथा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में संयुक्त रूप से पंद्रह वर्ष की सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 3. उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 4. परिवहन प्रभारी, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[ए. 11018/30/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 16th December, 2020

G.S.R. 204.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981 in so far as its relates to the post of Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Grade-I) in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Grade-I) Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age – limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification.**—No person, –
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with an person
shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age – limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	01 (2020)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable.	Between 18 to 25 years of age. (Relaxable for Government Servants upto forty years in case of general candidates and up to forty –five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applicants and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and

					Nicobar Islands and Lakshdweep.
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		
(7)	(8)	(9)	(10)		
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10 th standard from recognised Board. Desirable: three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment		

In case of recruitment by promotion / deputation/absorption grade from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Kalawati Saran Children's Hospital who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of dispatch rider on regular basis in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/re-employment for Armed Formed Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Deputy Director in charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Member.	Not applicable.

due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding The appointment in the same or other organisation, Department of Central Government shall ordinary not exceed three years. Note 2 : The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty -six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver (Grade II).	01 (2020)* * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : – 1.Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital ,New Delhi -Chairman; 2.Deputy Director in- charge of Medical Education , Directorate General of Health Services -Member; 3.Deputy Director, Kalawati Saran Children's Hospital , New Delhi -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Grade I).	02 (2020)* * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade -II) and Staff Car Driver	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – 1.Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital -Chairman; 2.Deputy Director in charge of Medical Education, Directorate General of Health Services -Member;	Not applicable.

(Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	3. Deputy Director, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; 4. In-charge Transport, Kalawati Saran Children's Hospital -Member	
--	---	--

[A.11018/30/2019-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 205.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शर्करा निदेशालय के निदेशक (शर्करा तकनीकी) भर्ती नियम, 2006, और वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय (निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, विकास अधिकारी और रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 2004 को, जहाँ तक कि वे निदेशक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय आंशिक अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, के अधीन शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, संयुक्त निदेशक (तकनीकी), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	2*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित), अननुसचिवीय	स्तर -12 (₹.78,800-2,09,200).	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा 50%, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। प्रतिनियुक्ति द्वारा 50% (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय में ऐसे उप निदेशक (तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (₹. 67,700-2,08,700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ चीनी या खाद्य तेल के कार्यक्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य और; 3. निदेशक (शर्करा और वनस्पति तेल), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय - सदस्य	अल्पकालिक संविदा सहित, प्रतिनियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठन या ऐसे अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो पूर्णतः या मूलतः केंद्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण में हों:

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु. 67,700-2,08,700) के पदों पर नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

(i) तेल प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शर्करा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ विज्ञान में डिग्री; और

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी अथवा स्वशासी संगठन अथवा ऐसे अनुसंधान संस्थानों के अधीन किसी संस्थान या संगठन में चीनी या खाद्य तेल के क्षेत्र में पाँच वर्षों का अनुभव हो जो पूर्णतः या मूलतः केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में

हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य किसी संगठन/विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[No.A-12018/2/2017-Estt.]

संगीत, निदेशक

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

(DIRECTORATE OF SUGAR AND VEGETABLE OILS)

New Delhi, the 17th December, 2020

G.S.R. 205.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in suppression of the Directorate of Sugar, Director (Sugar Technical) Recruitment Rules, 2006 and in partial supersession of the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, (Director, Deputy Director, Assistant Director, Development Officer and Chemist) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relates to the post of Director, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Joint Director (Technical) in Directorate of Sugar and Vegetable Oils under the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Joint Director (Technical) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Director (Technical)	2*(2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' (Gazetted) Non-Ministerial	Level-12 (Rs .78,800-2,09,200)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	50% by promotion failing which deputation (including short-term contract). 50% by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director (Technical) in the Directorate of Sugar and Vegetable Oils with five years regular service in level- 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix having successfully completed four weeks training in field of sugar or edible oils. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualification or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with	Group 'A' Departmental Promotion Committee: 1. Chairman or Member Union Public Service Commission –Chairman; 2. Joint Secretary (Sugar) Department of Food and Public Distribution –Member and; 3. Director (Sugar and Vegetable Oils), Directorate of Sugar and Vegetable Oils.–Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for deputation including short-term contract.

their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central or State Governments or recognised Universities or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory organizations or research institutions fully or substantially controlled by the Central or State Governments :

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Oil Technology or Degree in Science with postgraduate Diploma in Sugar Technology from a recognized University or Institute ; and

(ii) having five years Experience in sugar or edible oils sector in an institute or organisation under the Central Government or State Governments or recognized Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisation or research Institutions fully or substantially controlled by the Central or State Governments.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application).		
--	--	--

[No.A-12018/ 2 /2017-Estt.]

SANGEET, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 206.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सार्वजनिक वितरण विभाग, गेस्टेनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) भर्ती नियम, 1999, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में गेस्टेनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, गेस्टेनर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गेस्टेटर ऑपरेटर (ज्येष्ठ)	1*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय।	स्तर-2 (19,900 – 63,200/- रुपए)	अचयन पद	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशो या आदेशो के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारतीय अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण; (ii) गेस्टेटर मशीनों के प्रचालन और रखरखाव का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद, जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास गेस्टेटर मशीनों के प्रचालन और रखरखाव में प्रवीणता हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षणिक अर्हताएं हों, टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) – सदस्य 3. अवर सचिव (सतर्कता) – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2018-ई-2]

राम चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2020

G.S.R. 206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution, Department of Public Distribution, [Gestetner Operator (Senior)] Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Gestetner Operator (Senior) in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Gestetner Operator (Senior) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post and the level in the pay matrix relating its classification thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gestetner Operator (Senior)	1 * (2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200/-)	Non-selection post	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servant upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Anadaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation pass or its equivalent from a recognized Board; (ii) one year experience in operating and maintaining Gestetner Machines. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi Tasking Staff with three years' regular service and having proficiency in operating and maintaining Gestetner Machines. Deputation: Officers of the Central Government:- (a) (i) holding an analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding posts in the pay level-1 on regular basis for at least three years in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications laid down for direct recruits under Column 7. Note:- The period of deputation, including period of deputation in other ex-cadre posts, held immediately preceding this appointment in the same or some	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary (Administration) - Chairman; 2. Under Secretary (Administration) - Member; and 3. Under Secretary (Vigilance) -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.		
---	--	--

[F.No. A-12018/2/2018-E-II]

RAM CHANDRA, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय**(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 207.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय जल, विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवा (प्रधान नक्शानवीश और नक्शानवीश श्रेणी-I), भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में प्रधान नक्शानवीश और नक्शानवीश श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे सहायक तकनीकी सेवा, प्रधान नक्शानवीश और नक्शानवीश श्रेणी-I (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—यह नियम इन भर्ती नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएँ, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रधान नक्शानवीश	05 * (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रुपये 44900-142400)	चयन	30 वर्ष की आयु। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विद्या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी (सिविल या यांत्रिकी) में डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी (सिविल या यांत्रिकी) में डिप्लोमा और इसके साथ-साथ अधिमानतया केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग में नक्शानवीस के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : सही विद्या भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी। टिप्पण 2 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 3 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : लागू नहीं होता। शैक्षणिक अर्हता : लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
---	---	----------------	--

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रूपये 35400-112400) में ऐसा नक्शानवीस श्रेणी-1 जिसने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे से नक्शानवीसी के क्षेत्र में जिसमें विनिर्दिष्ट तथा इंजीनियरी में कम्प्यूटर अनुप्रयोग भी है, चार सप्ताह का आंतरिक प्रशिक्षण स्तर-2 सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1 निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -अध्यक्ष 2 निदेशक या उप सचिव (ई-11), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य 3 वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य 4 मुख्य प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1 निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रूपये 35400-112400) में या समतुल्य में उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	2 निदेशक या उप सचिव (ई-II), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य 3 वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य 4 मुख्य प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. नक्शानवीश श्रेणी-I	16 * (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रुपये 35400-112400)	चयन पद	30 वर्ष की आयु। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गई होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सुसंगत विधा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी (सिविल या यांत्रिकी) * में डिप्लोमा। (ii) केन्द्रीय / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र / प्रशासन संवैधानिक / स्वायत्ता संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या विश्वविद्यालय / या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था या अधिसूचित निजी संगठन में विभाग द्वारा निर्धारित सुसंगत विधा में दो वर्ष का अनुभव। *वास्तविक भर्ती के समय आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञता विनिश्चित किया जाएगा। वांछनीय : ऑटो कैंड से संबंधित सॉफ्टवेयर में 6 महीने	आयु : नहीं। शैक्षणिक अर्हता : नहीं।	दो वर्ष।	(i) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से)

का अनुभव टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग के विवेक अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब की शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रुपये 25500-81100) में ऐसा नक्शानवीस श्रेणी-II जिसने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 10 वर्ष नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय जल तथा अनुसंधान शाला, पुणे से नक्शानवीसी के क्षेत्र में जिसमें विनिर्दिष्ट तथा इंजीनियरी में कम्प्यूटर अनुप्रयोग भी है, चार सप्ताह का आंतरिक प्रशिक्षण स्तर-1 सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति : (अल्प कालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नक्शानवीसी श्रेणी वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रुपये 25500-81100) में या समतुल्य में उस पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- - निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -अध्यक्ष - निदेशक या उप सचिव (ई- II), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य - वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य - मुख्य प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- - निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -अध्यक्ष - निदेशक या उप सचिव (ई-II), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य - वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य - मुख्य प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

नहीं होंगे। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा.सं. -2/3/2017-ई-II]

शांतनू रक्षित, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources)

(RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION)

New Delhi, the 16th December, 2020

G.S.R. 207.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services (Head Draftsman and Draftsman Grade-I), Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Head Draftsman and Draftsman Grade-I in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Head Draftsman and Draftsman Grade-I, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification, level in pay matrix—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Head Draftsman	05* (2020) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level -7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection	30 Years of age. Relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)

Degree in Engineering or Technology (Civil or Mechanical) in relevant discipline from a recognised University. Or Diploma in Engineering or Technology (Civil or Mechanical) from a recognised Board or University with three years experience as a Draftsman preferably in a Central Government or State Governments Department. Note 1: The exact discipline shall be indicated at the time of recruitment. Note 2: Qualification are relaxable of the discretion of the competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case the candidates otherwise well qualified. Note 3: The Qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reason to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age: Not Applicable Educational Qualification: Not Applicable	Two years	By promotion failing with by deputation (Including short term contract) failing both by direct recruitment.
---	---	-----------	---

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Draftsman Grade-I in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade and having successfully completed four weeks of internal training level-II in the field of Draftsmanship specifically including computer applications in engineering from Central Water and Power Research Station, Pune. Deputation (Including short term contract) : Officer of the Central Government: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department: or (ii) with five years regular service in the post in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing education qualification and experience as prescribed for direct recruitment in column (7). Note 1: The Department officers in the feeder category who are in direct line of	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (E-II), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member; 3. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune - Member; 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member. Group 'B', Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary(E-II), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member; 3. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not also be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered; provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.	4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune – Member	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Draftsman Grade-I.	16 * (2020) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection post	30 years of age. Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government from time to time. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and

					Lakshadweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Diploma in Engineering or Technology (Civil or Mechanical)* from a recognised Board or University. (ii) Two years' experience in the concerned field prescribed by the Department from Central Government or State Government or Union territories or Administration statutory or autonomous organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutes or Listed private organisation. * The exact discipline shall be indicated at the time of recruitment. Desirable : Six months experience on the software relating to Auto –computer-aid design (CAD). Note 1: Qualifications are relaxable of the discretion of the Staff Selection Commission, for reason to be recorded in writing, in the case the candidates are otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reason to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age: No Educational Qualification: No	Two years.	i) Twenty per cent. by promotion failing which by deputation. ii) Eighty per cent. by direct recruitment (through Staff Selection Commission).

(11)	(12)	(13)
Promotion: Draftsman Grade-III in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed of four (04) weeks internal training level-1 in the field of Draftsmanship specifically including computer applications in engineering. Deputation (Including short term contract) : Officer of the Central Government: (a)(i) holding analogous post on a	Group 'B', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune –Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (E-II), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; 3. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune – Member; 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member . Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, Central Water and Power Research Station,	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

regular basis in the parent cadre or department: or (ii) with ten years regular service in Draftsman Grade in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing education qualification and experience as prescribed for direct recruitment in column (7). Note 1: The Department officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not also be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.	Pune -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (E-II), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; 3. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune – Member; 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member .	
--	--	--

[F. No. 2/3/2017-E.II]

SANTANU RAKSHIT, Under Secy.